भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4966

23.03.2026 को उत्तर के लिए

जंगली पशुओं को अन्यत्र ले जाना

4966. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनियाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास मानव-पशु संघर्ष के कारण होने वाली लोगों की मृत्यु के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान हुई लोगों की मृत्यु का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पशुओं को अन्य स्थानों पर ले जाने के संबंध में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य स्थानों पर ले जाए गए पशुओं की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) वन्यजीवों का प्रबंधन, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष का शमन भी शामिल है, मुख्यतः संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली इकाइयाँ होती हैं तथा वे संबंधित प्रजातियों सहित, ऐसे संघर्षों का विवरण अपने पास रखते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों तथा उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु “वन्यजीव पर्यावासों का विकास”, “बाघ परियोजना” तथा “हाथी परियोजना” जैसी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, तथा जंगली जानवरों के कृषि क्षेत्रों में प्रवेश को रोकने के लिए कंटीले तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़, जैव-बाड़ (बायो-फेंसिंग) और सीमा पर दीवारों जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण एवं

स्थापना शामिल है। वन्यजीवों के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें मानव जीवन की क्षति, चोट, फसल की क्षति, पशुधन का शिकार और संपत्ति को नुकसान शामिल है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संघर्ष की स्थिति में समय पर हस्तक्षेप करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए जाते हैं।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में सूचीबद्ध वन्य पशु आबादी का वैज्ञानिक प्रबंधन संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। पशुओं के स्थानांतरण/पुनर्स्थापन कार्यक्रम सामान्यतः प्रजाति-विशिष्ट एवं स्थल-विशिष्ट होते हैं, और इन्हें संरक्षण, आबादी प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष के शमन जैसे उद्देश्यों के लिए संचालित किया जाता है। ऐसी योजनाओं का विवरण, जिसमें पुनर्स्थापित किए गए पशुओं की संख्या भी शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखी जाती हैं।
